[Social Issues and Environmental Problems, Vol.3 (Iss.9:SE): Sep, 2015] ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394-3629(P)
Impact Factor: 2.035 (I2OR)
DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v3.i9SE.2015.3219

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH
A knowledge Repository

वानिकी एवं पर्यावरण

भारती खरे[1], अंजलि कुमार[2]
[1]शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर, महाविद्यालय भोपाल, म.प्र.
[2]शासकीय महाविद्यालय, सरदारपुर

एक अरब से ज्यादा जन सैलाब के साथ भारतीय पर्यावरण को सुरक्षित रखना एक कठिन कार्य है वह भी जबकि हर व्यक्ति की आवश्यकताएँ, साधन, शिक्षा एवं जागरूकता के स्तर में असमान्य अंतर परिलक्षित होता है। संतुलित पर्यावरण के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना करना मात्र एक कल्पना ही है। पर्यावरण से खिलवाड़ के परिणाम हम कई रूप में वर्तमान में देख रहे हैं एवं भोग रहे हैं।

पर्यावरण विज्ञान आज के समय के अनुसार एक अनिवार्य विषय है। यह सिर्फ हमारी ही नहीं अपितु वैश्विक समस्या है। वर्तमान पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हुए इस विषय से हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए एवं जोड़ना चाहिए। वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान से प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबंधन एवं नई तथा कारगर तकनीकों के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार किया जा सकता है। मानव समाज ने विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है परंतु इस विकास के चलते उसने प्राकृतिक संसाधनों का क्रूरता के साथ उपयोग किया है या यह कहा जाये कि दुरूपयोग किया है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों के साथ पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है और इसके परिणाम देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के साथ सतत् की जा रही बर्बरता के कारण आज हम बढ़ते बंजर इलाके, कम उपजाऊ भूमि, प्रदूषण से भरे हमारे नगर और बाढ़ तथा सूखे की क्रूरता झेलते मानव समाज एवं क्षेत्र हमारे समकक्ष ही उपलब्ध हैं। आज सारा विश्व पर्यावरण संतुलन को सुधारने के लिए विवश है। इस परिप्रेक्ष्य में वन एवं पर्यावरण शब्द एक दूसरे के पूरक लगते हैं। वनों के प्रबंधन से पर्यावरण में सुधार होना अवश्यम्भावी है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को हुए नुकसान एवं इसकी बेहतरी के लिए किये जा रहे प्रयासों तथा हमारे आसपास हुए भयावह परिवर्तन से सीख लेकर अब पूरे मानवसमाज को सचेत होने की जरूरत है। अगर हम अब भी सावधान नहीं हुए तो हमें विनाशकारी परिणाम भुगतने से कोई नहीं बचा सकता।

विभिन्न देशों में हुई ओद्यौगिक क्रॉतियॉ भी पर्यावरण के लिए खतरनाक रहीं। यूरोप में हुई औद्योगिक क्रॉति के 100 वर्ष बाद ही विश्व की जनसंख्या दोगुनी हो गयी। जनसंख्या वृद्धि ने मनुष्य की आवश्यकताओं की सीमाओं को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दिया।

औद्योगिक विकास के चलते कृषि जगत में नई तकनीकों का विकास हुआ एवं अधिक रासायनिक खाद के उपयोग ने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ–साथ भूमि के उपजाऊपन को कम भी किया, एवं हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते।

पर्यावरण के बिगड़ने से कई जीव–जंतुओं की प्रजातियॉ विलुप्त हो गयीं एवं कई विलुप्त होने की कगार पर है। जो गोरैया चिड़िया हमारे घर आंगन में घोंसले बनाती थीं, चहचहाती थीं, वह आज मुश्किल से ही दिखाई देती है। आज उतने पक्षी हमारे आंगन में नहीं चहचहाते जो आज से 20–30 साल पहले चहचहाते थे। शाम के समय बिजली की तारों पर लाईन लगाने वाले परिंदे कहीं अंतरध्यान हो गये हैं। वन्यप्राणी जीवन खतरे में है। बाघों को बचाने हेतु विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। खतरे की घंटी बज चुकी है। अब भी अगर हमने वनों एवं पर्यावरण से खिलवाड़ की तो मानव समाज का अस्तित्व खतरे में आ जायेगा।

हमारे जीवन में भोजन से पहले हवा एवं जल की आवश्कता है और यह दोनों ही तत्व लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। शहरों में प्रदूषण संबधी बीमारियॉ होना आम हो गया है। अपने पूर्वजों से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई

या हमने जो अपने वेदों से सीखा एवं पढ़ा उसमें यही बताया गया कि जीव पंचतत्वों से बना है जो जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं पृथ्वी हैं। इन पांच तत्वों में से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ा जो परिणाम प्रलयकारी हो सकते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों की अनिवार्यता का ज्ञान भारतवर्ष में वैदिक काल में ही हो गया था। उपनिषदों की एक कथा में इस का उदाहरण मिलता है। ऋगवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद में भी प्रकृति की उदारता एवं इसके संरक्षण के विषय में बताया गया है एवं प्रकृति से भावनात्माक संबंध रखने की बात भी कही गयी है।

हम भी लगातार पर्यावरण संरक्षण करने में प्रयासरत हैं एवं इसके दूरगामी शुभ परिणाम हमें प्राप्त होंगे ऐसी आशा करते हैं। भारतीय संविधान जो 1950 में लागू हुआ था सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण से नहीं जुड़ा हुआ था। सन् 1972 के स्टाकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर गया। सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर दो महत्पूर्ण अनुच्छेद 48 एवं तथा 51 ए(जी) जोड़े। अनुच्छेद 48 ए राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चत करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा करें। अनुच्छेद 51 ए (जी) नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उसका संवर्धन करें और सभी जीवधारियां के प्रति दयालु रहें। परंतु स्वतंत्रतर के पश्चात औद्योगिकीकरण एवं जंसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आयी एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार ने समय–समय पर अनेक कानून व नियम बनायें जिनमें से कुछ निम्न हैंः–

- जलु प्रदूषण संबंधी-कानून
- रीवर बोडर्स एक्टए 1956
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमए 1974
- जल उपकर (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमए 1977
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियमए 1986
- वायु प्रदूषण संबंधी कानून
- फैक्ट्रीज एक्टए 1948
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमए 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियमए 1986
- भूमि प्रदूषण संबंधी कानून
- फैक्ट्रीज एक्टए 1948
- इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अधिनियमए 1951
- इनसेक्टीसाइडस एक्टए 1968
- अर्बन लैण्ड (सीलिंग एण्ड रेगयुलेशन) एक्टए 1976
- वन तथा वन्यजीव संबंधी कानून
- फोरेस्टस कंजरवेशन एक्टए 1960
- वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्टए 1972
- फोरेस्ट (कनजरवेशन) एक्टए 1980
- वाइल्ड लाईफ (प्रोटेक्शन) एक्टए 1995
- जैव-विविधता अधिनियमए 2002

भारत में पर्यावरण हेतु स्वतंत्रता पश्चात कई कानून बनाये गये परंतु तब पर्यावरण की समस्या इतनी व्यापक नहीं थी। अतः वर्तमान परिवेश में इनमें से अधिकांश कानून अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। पर्यावरण की समस्या से लड़ने के लिए कानून से ज्यादा यह समझना जरूरी है कि हम इसे संरक्षित करने में क्या योगदान दे सकते हैं। अगर हर व्यक्ति, अधिकारी एवं जन सेवक अपनी ओर से प्रयास करने तो पर्यावरण संरक्षण में सुधार हो सकता है।

पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है एवं इसके खतरे को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों एवं पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इसके गंभीर परिणाम होगें। इसके खतरे को ध्यान में रखते हुए 1192 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के 174 देशों ने ''पृथ्वी सम्मेलन'' का आयोजन किया था। इसके पश्चात् 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में ''पृथ्वी सम्मेलन'' का आयोजन करके संसार के सभी देशों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित करने पर बल दिया गया ।

जब पर्यावरण की चर्चा हो ही रही है तो हम 5 जून को कैसे भूल सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल एसेंबली ने 5 जून को सन 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य प्रकृति, पृथ्वी एवं पर्यावरण की रक्षा करना है। एक समय था जब लोग सिर्फ अपने पर्यावरण की बात करते थे परंतु संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद से पर्यावरण एक वैश्विक समस्या के तौर पर देखा जाने लगा। संयुक्त राष्ट के महासचिव बान मून के यह वाक्य अपने आप में पूरी किताब हैं, उन्होंने कहा था कि बात अगर वैश्विक संकट की हो तो भले ही किसी एक व्यक्ति का निर्णय बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब अरबों लोग एक ही मकसद से आगे बढ़ते हैं, तो बड़ा परिवर्तन आता है।

वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान से हम मानव समाज के कल्याण हेतु कदम बढ़ा सकते हैं परंतु सबसे पहले स्वयं के जागरूक होने की आवश्यकता है तथा वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जागरूकता के साथ–साथ वानिकी एवं पर्यावरण के हित में कार्य करने की भी जरूरत है। अब केवल सरकार एवं संस्थाओं के भरोसे अपने लिए स्वच्छ पर्यावरण की उम्मीद करने से काम नहीं चलेगा बल्कि अब आमजन को सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है।

हमें इस विषय में दो महत्पूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है पहला प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण दूसरा हमारे स्वयं के द्वारा फैलाया जाने वाला प्रदूषण। अगर हमने यह समझ लिया कि हमे पर्यावरण बचाने के लिए क्या करना है एवं क्या नहीं तो हम पर्यावरण विज्ञान के आधे ज्ञाता तो ही जाते हैं साथ ही हम इस वैश्विक समस्या से लोहा लेने के लिए विश्व के साथ खड़े होकर अपनी आने वाली पीढी के लिए कुछ तो अच्छा कर ही सकते हैं।